

शाप खोलने हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तें सत्र-2016-2017

01. टक-शाप की निविदा माह जुलाई-2016 से अप्रैल-2017 तक के लिए मान्य है ।
02. टक-शाप की सभी वस्तुएं गुणवक्ता युक्त एवं ब्राण्डेड होनी चाहिए तथा उसकी बिक्री एम0आर0पी0 दर से किसी भी दशा में अधिक नहीं होनी चाहिए ।
03. सभी वस्तुएं समय सीमा के अनुरूप होनी चाहिए ऐक्सपाइरी तिथि की वस्तुएं टक-शाप के अन्दर नहीं रखी जानी चाहिए ।
04. टक-शाप विद्यालय द्वारा निर्धारित समय में ही खोली जायेगी जो सामान्तः दो घंटे की अवधि की होनी चाहिए ।
05. टक-शाप में उपलब्ध वस्तुओं की सूची तथा उनका मूल्य अंकित कर लगाना होगा ।
टक-शाप के अन्दर की सभी वस्तुएं 10000.00(दस हजार) मूल्य से कम की होनी चाहिए ।
06. टक-शाप में कोई भी वस्तु नशीली तथा प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए ।
07. टक-शाप को निरीक्षण/जॉच करने का अधिकार प्राचार्य/उप-प्राचार्य अथवा प्राचार्य द्वारा गठित समिति को होगा । जो समय-समय पर वस्तुओं की गुणवक्ता आदि का निरीक्षण कर प्राचार्य को अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
08. टक-शाप समिति के नियमानुसार ही संचालित होगी ।
09. विद्यालय परिसर में किसी प्रकार से दुकान का स्थायी निर्माण आदि का अधिकार सम्बन्धित टक-शाप निविदादाता को नहीं होगा ।
10. टक-शाप में सभी वस्तुएं ब्राण्डेड एवं कम्पनी निर्मित होनी चाहिए, विद्यालय में किसी प्रकार से सामान निर्मित नहीं किया जायेगा । विशेष अवस्था में प्राचार्य की अनुमति आवश्यक होगी ।
11. टक-शाप के संचालन का कार्य-व्यवहार एवं आचरण आवसीय विद्यालय के अनुरूप होना चाहिए । विद्यालय विरोधी गति विधियों में किसी प्रकार की संलिप्तता होने पर निविदा समाप्त की जायेगी तथा उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।
12. टक-शाप संचालन दुकान का किराया एवं बिजली बिल प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जमाकर रसीद प्राप्त करेंगे । बिलम्ब होने की दशा में प्रति दिन 10 रुपये की दर से बिलम्ब शुल्क लिया जायेगा । माह के 15 तारीख तक किराया जमा न करने पर निविदादाता को टक-शाप चलाने से वंचित किया जा सकता है । टक-शाप का किराया अधिकतम राशि पर दिया जायेगा । परन्तु किसी भी दशा में रूपया 500.00 + बिजली न्यूनतम राशि होगी ।
13. टक-शाप छात्राओं एवं छात्रों के लिए अलग-अलग होगी । छात्राओं की टक-शाप हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है ।
14. टक-शाप संचालन को अपना स्थानीय पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र आदि आवश्यक प्रपत्र जमा करने होंगे ।
मैं सभी शर्तों से सहमत हूँ तथा सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करूंगा ।
15. विद्यालय के स्थायी कर्मचारियों के सगे-सम्बन्ध यदि विद्यालय में टक-शाप खोलना चाहते हैं तो किसी भी दशा में विद्यालय हित प्रभावित नहीं होना चाहिए, ऐसा होने पर अथवा उक्त निर्देशों का अनुपालन न होने पर निविदा समाप्त कर धरोहर धनराशि जब्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता

पूरा पता मो0 नं0 सहित.....

.....
.....

जवाहर नवोदय विद्यालय, रुधौली वस्ती (उ०प्र०)

टक-शाप निविदा प्रपत्र सत्र-2016-17

क्रमांक	टक-शाप विवरण	प्रति माह किराये की धनराशि
01	टक-शाप लड़को हेतु	
02	टक-शाप लड़की हेतु	

हस्ताक्षर निविदादाता.....

निविदादाता का नाम.....

पूरा पता.....

.....

.....

मोबाइल नम्बर.....